



केन्द्रीय सूचना आयोग  
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका  
नई दिल्ली 110067

\*\*\*\*\*

प्रथम अपील सं                      CICOM/A/P/24/00147  
संदर्भ संचिका सं .                CICOM/R/P/23/00470  
अपीलकर्ता                        श्री गौरव गोविन्द त्रिपाठी

|                                                                            |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि                                                    | 19.10.2024                               |
| संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि           | 08.11.2024                               |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि                                 | 14.11.2024                               |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी                                      | कर्नल एस.एस.चिकारा,<br>CPIO (DR to ICAR) |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि                                              | 11.12.2024                               |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि | 20.12.2024                               |
| निर्णय की तारीख                                                            | 20.01.2025                               |

#### 1. मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 19.10.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी :-

“(i) यह कि उपरोक्त सन्दर्भ पत्र में वर्णित अतिरिक्त सूचना पृष्ठ संख्या 137 (अंकन रु. 274/-) की सत्यापित छायाप्रति।

(ii) यह कि द्वितीय अपील संख्या CIC/PNBK/A/2019/652716 Dated 21.06.2022 सूचना पृष्ठ संख्या 8 (अंकन रु. 16/-) की अतिरिक्त सत्यापित छायाप्रति।

श्रीमान जी से अनुरोध है कि अनुरोधकर्ता को नियमानुसार उक्त सूचनाएं उपलब्ध करवाने की कृपा करें आपकी अति कृपा होगी।

#### 2. प्रदान की गई सूचना

कर्मल एस.एस.चिकारा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 14.11.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

"Point 1.) - Ref RTI received vide CIC vide diary no 68112/08.12.2023/RTI dated 02.01.2024 and your letter dated 19.10.2024.

Point 2.) - The desired documents as requested from Case No. CIC/PNBNK/A/2019/652716 are sent herewith.

### 3. प्रथम अपील का आधार

"निवेदन यह है कि अपीलकर्ता द्वारा अधिनियम उपरोक्त के अंतर्गत द्वारा आवेदन पत्र दिनांकित के माध्यम से 2 बिंदुओं से संबंधित वांछित सूचना हेतु एक अनुरोध पत्र श्रीमान जनसूचना अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया था। परन्तु अपीलकर्ता को श्रीमान जनसूचना अधिकारी महोदय द्वारा जानबूझ कर धामक व अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के कारण द्वारा अपीलकर्ता आपके समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि अपीलकर्ता को यथाशीघ्र नियमानुसार उक्त सूचनाएं उपलब्ध करवाने की कृपा करें आपकी अति कृपा होगी।"

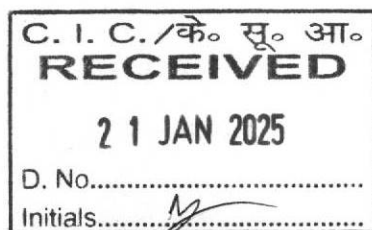
### 4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/23/00470 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 20.01.2025



रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी  
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

o/c